राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 10897/2010

डॉ. भगवती प्रसाद शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री मदन गोपाल, उम्र 58 वर्ष, वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भोपालगढ़, जिला जोधपुर में जूनियर स्पेशलिस्ट के पद पर कार्यरत।

----अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से राजस्थान राज्य।
2. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप सचिव, कार्मिक, ग्रेड III (जांच), राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री खेत सिंह राजपुरोहित।
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	सुश्री खुशबू चौधरी सुश्री अभिलाषा बोरा के लिए।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

01/04/2024

1. अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 16.09.2003 (अनुलग्नक 6) के आदेश द्वारा दी गई सजा से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने समीक्षा प्राधिकारी के समक्ष समीक्षा दायर की, जो एक आत्मघाती लक्ष्य साबित हुई, क्योंकि दिनांक 05.10.2009 (अनुलग्नक 9) के आदेश द्वारा सजा को सेवा से हटाने तक बढ़ा दिया गया था, याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दोनों आदेशों को चुनौती दे रहा है, जिनके संचालन पर दिनांक 26.11.2010 के अंतरिम आदेश द्वारा रोक लगा दी गई थी, जो आज भी कायम है।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1. याचिकाकर्ता, जो एक चिकित्सक है, जूनियर स्पेशलिस्ट के पद पर कार्यरत था, को बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 11.07.2000 (अनुलग्नक 1) का आरोप-पत्र दिया गया था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने एक जांच अधिकारी नियुक्त किया। दिनांक 23.12.2002 (अनुलग्नक 3) की जांच रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया।

2.2. जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट अनुशासनात्मक अधिकारी को प्रस्तुत की, जिन्होंने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने विस्तृत अभ्यावेदन (अनुलग्नक 5) प्रस्तुत किया, तथापि अनुशासनात्मक अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 16.09.2003 (अनुलग्नक 6) के तहत संचयी प्रभाव से चार वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने का दंड सीधे ही दे दिया।

2.3. दंड का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने राजस्थान के महामहिम राज्यपाल के समक्ष सीसीए नियमों के नियम 34 के तहत समीक्षा याचिका प्रस्तुत की। दिनांक 05.10.2009 के आक्षेपित आदेश के तहत समीक्षा अधिकारी ने दंड को बढ़ाने के बजाय सेवा से हटाने का दंड दिया। अत: यह रिट याचिका।

3. प्रतिवादियों की ओर से जवाब में यह तर्क दिया गया कि जांच अधिकारी ने विभाग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार न करके घटिया जांच की है। दस्तावेजी साक्ष्य याचिकाकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त थे। इसी आधार पर अनुशासनात्मक अधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत थे। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को संचयी प्रभाव से चार वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई, हालांकि याचिकाकर्ता अधिक कठोर व्यवहार का हकदार था। ऐसी परिस्थितियों में, माननीय राज्यपाल एक समीक्षा अधिकारी होने के नाते याचिकाकर्ता के कदाचार को देखते हुए उसके द्वारा उचित रूप से योग्य सजा बढ़ाने में पूरी तरह से न्यायसंगत हैं। इसलिए, सेवा से हटाने का आदेश इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराता है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं, जो पक्षों की संबंधित दलीलों के समान ही हैं और मैंने केस फाइल के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। अब मैं आगे के पैराग्राफ में इसके कारणों को दर्ज करके अपनी राय प्रस्तुत करूंगा।

4.1. सबसे पहले, आइए देखें कि क्या याचिकाकर्ता सेवा से हटाने के माध्यम से सजा बढ़ाने का हकदार है। इस संदर्भ में सबसे पहले सीसीए नियमों के नियम 34 को देखा जा सकता है। आसान संदर्भ के लिए, नियम 34 को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"34. राज्यपाल की समीक्षा करने की शक्ति:- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल स्वप्रेरणा से या अन्यथा, मामले के अभिलेख मंगाने के पश्चात, इन नियमों या नियम 35 द्वारा निरस्त नियमों के अधीन किए गए या अपील योग्य किसी आदेश की समीक्षा कर सकते हैं और जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो, आयोग से परामर्श करने के पश्चात:

(क) आदेशों की पुष्टि, संशोधन या अपास्त कर सकते हैं;

(ख) आदेश द्वारा लगाए गए दंड को अपास्त, कम, पुष्टि या बढ़ा सकते हैं या कोई दंड लगा सकते हैं;

(ग) मामले को उस प्राधिकारी को भेज सकते हैं जिसने आदेश दिया था या किसी अन्य प्राधिकारी को भेज सकते हैं जो मामले की परिस्थितियों में उचित समझे और आगे की कार्रवाई या जांच का निर्देश दे सकता है; या

(घ) ऐसे अन्य आदेश पारित करना, जिन्हें वह उचित समझे:

बशर्ते कि:-

(i) कोई दंड लगाने या बढ़ाने वाला आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक संबंधित व्यक्ति को ऐसे बढ़े हुए दंड के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो:

(ii) यदि राज्यपाल नियम 14 के खंड (iv) से (vii) में निर्दिष्ट कोई दंड लगाने का प्रस्ताव करता है, ऐसे मामले में जहां नियम 16 के तहत जांच नहीं की गई है, वह नियम 19 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निर्देश देगा कि ऐसी जांच की जाए और उसके बाद ऐसी जांच की कार्यवाही पर विचार करने के बाद ऐसे आदेश पारित करेगा, जिन्हें वह उचित समझे।

(iii) इस नियम के तहत कोई कार्रवाई समीक्षा किए जाने वाले आदेश की तारीख के तीन वर्ष से अधिक समय बाद शुरू नहीं की जाएगी।

नोट:- यह नियम राजस्थान न्यायिक सेवा के सदस्य और अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनके खिलाफ नियम 14 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने का आदेश, सेवा से हटाने या बर्खास्त करने के दंड को छोड़कर, प्रशासनिक न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित

न्यायाधीश द्वारा किया जाता है या जब अपील न्यायालय की समिति द्वारा कोई आदेश दिया जाता है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दंड में वृद्धि का आदेश स्वप्रेरणा से दिया जा सकता था, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने के तीन वर्ष बीत जाने के बाद नहीं। केवल इसी आधार पर दंड में वृद्धि को रद्द किया जा सकता है। इस बारे में बाद में विस्तार से बताया जाएगा।

4.2. दण्ड आदेश के गुण-दोष के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के जांच परिणाम और निष्कर्ष से असहमत होकर गम्भीर विधिक त्रुटि की है। जांच अधिकारी ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर याचिकाकर्ता को किसी भी आरोप में दोषी नहीं पाया, परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी द्वारा दर्ज जांच परिणाम और निष्कर्ष का समुचित मूल्यांकन किए बिना याचिकाकर्ता के विरुद्ध चार वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिनांक 16.09.2003 को पारित कर दिया। असहमति की स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकारी को मामले को जांच अधिकारी के पास किसी भी साक्ष्य पर पुनर्विचार के लिए वापस भेजना चाहिए था, जिस पर जांच अधिकारी द्वारा पहले विचार नहीं किया गया था। परन्तु अपने सम्पूर्ण आदेश में अनुशासनिक प्राधिकारी ने कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि उपलब्ध साक्ष्य के किस भाग पर जांच अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया। इस आधार पर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता पर सीधे जुर्माना लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं था, वह भी बिना किसी ठोस निष्कर्ष के आधार पर अपना स्वतंत्र निष्कर्ष दर्ज किए।

4.3. याचिकाकर्ता ने राजस्थान के महामहिम राज्यपाल ('समीक्षा प्राधिकारी') के समक्ष सी.सी.ए. नियमों के नियम 34 के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध समीक्षा याचिका प्रस्तुत की।

4.4. प्रासंगिक रूप से, अपनी असहमति दर्ज करने से पहले, समीक्षा प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को यह सुनने का अवसर नहीं दिया कि उसे दी गई सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है और न ही प्रशासनिक विभाग द्वारा समीक्षा प्राधिकारी के समक्ष इस आशय का कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें वृद्धि की मांग की गई। इसके अलावा, 1958 के नियम 34 के तहत तीन वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है। वर्तमान मामले में, अनुशासनिक प्राधिकारी ने 16.09.2003 के आदेश (अनुलग्नक 6) के तहत चार वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाया। 1958 के नियम 34 के अनुसार, समीक्षा अधिकारी को 3 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद

अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की स्वप्रेरणा से समीक्षा करने की शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

4.5. इसके अलावा, बढ़ी हुई सजा का प्रस्ताव करने से पहले, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत आरपीएससी से परामर्श किया जाना आवश्यक था, जिसमें विशेष रूप से प्रावधान है कि सभी अनुशासनात्मक मामलों और बड़े दंड लगाने में, आरपीएससी से परामर्श किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार दिनांक 05.10.2009 का आक्षेपित आदेश इस आधार पर भी टिकने योग्य नहीं है।

4.6. इसके अलावा, समीक्षा अधिकारी की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) का भी उल्लंघन है। माना जाता है कि बढ़ी हुई सजा का प्रस्ताव करने से पहले समीक्षा अधिकारी ने याचिकाकर्ता को अपना मामला उनके समक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया, हालांकि याचिकाकर्ता ने विस्तृत अभ्यावेदन के साथ अपनी समीक्षा याचिका को पूरक बनाया था। समीक्षा अधिकारी के पास एकमात्र रास्ता या तो याचिका को अनुमति देना या इसे खारिज करना था। लेकिन समीक्षा अधिकारी ने दोनों में से किसी एक को अपनाने के बजाय याचिकाकर्ता को बढ़ी हुई सजा दी। यह न तो नियमों के अनुसार है और न ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के अनुसार है।

5. अंत में मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि तीन वर्ष के पश्चात समीक्षा अधिकारी द्वारा प्रयोग की गई शक्ति के कारण विवाद अब और नहीं रह गया है। इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा बृजमोहन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य : 2019 सर्वोच्च (राजस्थान) 866 में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसकी अध्यक्षता मेरे विद्वान भाई न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी कर रहे थे। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "न्यायालय ने पाया कि इस मामले में दंड आदेश अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा 23.09.2005 को पारित किया गया था और अपीलीय प्राधिकारी ने 18.01.2006 को आदेश पारित किया था। राज्यपाल द्वारा नियम 34 के तहत पारित किया गया आदेश दिनांक 20.07.2009 का है। याचिकाकर्ता द्वारा समीक्षा प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दिए गए दो आक्षेपित आदेशों पर राज्यपाल द्वारा सीसीए नियम, 1958 के नियम 34 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक था।
>
> नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने अपने विवेक से प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश की समीक्षा के लिए तीन वर्ष की बाहरी सीमा

प्रदान की है। न्यायालय की राय में, नियम 34 के तहत प्रदत्त शक्ति को लागू करने के लिए सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तीन साल की सीमा प्रदान करने के उद्देश्य का पालन किया जाना आवश्यक है और यदि कोई अपराधी समीक्षा याचिका दायर करता है, तो समीक्षा प्राधिकरण किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जो उसे दी गई है जैसे आदेशों को संशोधित करना, अपास्त करना या पुष्टि करना या वह कोई दंड लगा सकता है या वह दंड को अपास्त कर सकता है, कम कर सकता है, पुष्टि कर सकता है या बढ़ा सकता है।

नियम के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि समीक्षा करने वाले प्राधिकरण के पास मामले को उस प्राधिकरण को भेजने की पूरी क्षमता है जिसने आदेश दिया था या किसी अन्य प्राधिकरण को जो मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे, आगे की कार्रवाई या जांच का निर्देश दे। हालांकि, प्रावधान (iii) यह प्रतिबंध लगाता है कि नियम 34 के तहत की जाने वाली कोई भी कार्रवाई, उस आदेश की तारीख से तीन साल के भीतर शुरू की जानी चाहिए जिसकी समीक्षा की जानी है।

इस न्यायालय की खंडपीठ ने सीसीए नियम 1958 के नियम 32(iii) के दायरे पर विचार किया है। उक्त नियम 32(iii) नियम 34 के परंतुक (iii) के साथ नियम का एक परिसीमा है। इस न्यायालय की खंडपीठ ने नियम 32(iii) की व्याख्या करते हुए माना है कि यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दंड लगाने के आदेश के छह महीने से अधिक समय बाद समीक्षा प्राधिकारी की कार्रवाई शुरू की गई थी, तो आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं पाया गया और न्यायालय ने उस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को अनुमति दे दी है। न्यायालय की राय में, समीक्षा प्राधिकारी द्वारा पारित वर्तमान आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और यह नियम 34 के तहत निर्धारित बाहरी समय सीमा का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

डॉ. ए.एस. खंगारोत ने दलील दी कि राज्यपाल की शक्ति पर कोई बंधन नहीं हो सकता और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए आगे की कार्रवाई का निर्देश देकर उसी शक्ति का

प्रयोग किया जा सकता है। न्यायालय ने पाया कि आदेश की समीक्षा करने के लिए राज्यपाल को दी गई विभिन्न शक्तियों को नियम 34 के तहत निर्धारित समय सीमा के अनुसार निर्देशित किया जाना चाहिए। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि राज्यपाल को नियम 34 में दी गई विभिन्न शक्तियां प्राप्त हैं, यहां तक कि वह संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस देने के बाद दंड को बढ़ा भी सकते हैं। हालांकि, यह शक्ति नियम 34 के तहत निर्धारित वैधानिक सीमा तक सीमित है।

न्यायालय का मानना है कि 20.07.2009 का आदेश रद्द किया जाना चाहिए और उसे अपास्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है।"

6. मैं अपने विद्वान भाई पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, जे. द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ।

7. पिछले भाग में मेरे द्वारा की गई चर्चा के परिणामस्वरूप, बृजमोहन के मामले में दिए गए निर्णय के साथ, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। तदनुसार, दिनांक 16.09.2003 (अनुलग्नक 6) और 05.10.2009 (अनुलग्नक 9) के दोनों आक्षेपित आदेश आने वाले परिणाम के साथ निरस्त किए जाते हैं।

8. लंबित आवेदन(नों), यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।